सुखदीप सिंह **बनाम** बलदेव सिंह आदि
अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 100 सन् 2024
जी.सी.एस.एस. नम्बर 2024 / 403

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म में
श्री अप्रार्थी सं० 1 ता 4 को जवाब बन्द करने पर कोई एतराज नहीं है 28.0_.2025 बलदेव सिंह मनजिन्द्र सिंह पटवारी Sukh	अधिवक्तागण उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 की ओर से अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह सरां उपस्थित आए व जवाब प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए बन्द किए जाने हेतु अर्ज किया। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया जाता है। अप्रार्थी संख्या 5, 10 की ओर से अधिवक्ता श्री ईकबाल सिंह उपस्थित आए। अप्रार्थी संख्या 5 व 10 का जवाब प्रार्थना पत्र बन्द किया गया। अप्रार्थी संख्या 6 ता 9 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए पर की गई बहस पर मनन किया गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 95 / 93 के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 1 ता 25 व मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 की 15 बिस्वा, किला नम्बर 10 की 15 बिस्वा भूमि की मूलवाद के निर्णय तक मौका व राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे जाने बाबत निवेदन किया गया। अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए खारिज किए जाने बाबत निवेदन किया। लिहाजा हस्तगत प्रकरण के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना प्रतीत होते है। अतः प्रार्थी / वादी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 बाबत अस्थाई व्यादेश भली–भांति साबित होने से आशिंक स्वीकार किया जाकर अस्थायी व्यादेश बहक प्रार्थी विरूद्व अप्रार्थीगण इस आशय का पारित किया जाता है कि वे राजस्व ग्राम 19 एफ, पटवार हल्का फूसेवाला, भू.अ.नि.क्षेत्र केसरीसिंहपुर, तहसील श्रीकरणपुर की जमाबन्दी सम्वत 2075 ता 2078 के खाता संख्या 95 / 93 के मुरब्बा नम्बर 1 के किला नम्बर 1 ता 21 / 1, 22 / 1, 23 / 1, 24 / 1, 25 / 1 व मुरब्बा नम्बर 2 के किला नम्बर 1 की 15 बिस्वा, किला नम्बर 10 की 15 बिस्वा भूमि की ताफैसला वाद मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे। पत्रावली इस कदर फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो।	

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर (श्री गंगानगर) [seal]

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
श्री करणपुर